हिन्दी, भारत माता के माथे की बिंदी

स्वामी तत्परानन्द
रामकृष्ण मिशन, लखनऊ

सर्वप्रथम मैं हिन्दी पखवाड़ा के आयोजन कर्ताओं को धन्यवाद देना चाहुँगा। राज भाषा के विकास एवं उन्नयन हेतु आपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा यह पखवाड़ा सफलतापूर्वक मनाया इस हेतु आपके सभी सहयोगियों के साथ, कार्यक्रमों में सभी, भाग लेने वाले भी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे गौरवान्वित उद्देश्यों के लिए हमें भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होने को जो सौभाग्य आपने प्रदान किया है इस हेतु हमारा भी आप सभी को हृदय से साधुवाद। पुरुष्कार विजेताओं की उपलब्धियों की प्रशंसा के साथ उनके लिए विभिन्न अवसरों पर अपनी राज भाषा -'हिन्दी भाषा' की उपस्थिति एवं सरंक्षण के गुरुदायित्व का भी प्रोत्साहन अनुग्रहित है।

भारत में शब्द को ब्रह्म तथा भाषा को ब्राह्मी कहा गया है, अमर कोश में ब्राह्मी को भारती और भाषा का पर्याय बताया गया है। भाषा विचार को विवेक प्रदान कर उसे नियमित, निगमित तथा निर्देशित करती है। कभी-कभी 'भाषा' शब्द का प्रयोग अभिव्यक्ति के अर्थ में न होकर 'कहने का ढंग' का द्योतक होता है। इसी उपक्रम में शब्द को ब्रह्म और भाषा को ब्राह्मी कहने का आशय यह है कि सृष्टा और सृष्टि एक ही तत्व के दो रूप हैं, शब्द आकाश का लक्षण है और आकाश सर्वव्यापी है, इसी प्रकार शब्द से प्रसारित वाणी, सरस्वती, भारती या गौरी समस्त ब्रहमाण्ड में 'सहस्त्राक्षरा' बनकर निरंतर संचारित होती है- **"अक्षराय दीप्तिरूच्यते"**। यह तभी संभव है जब अक्षर संस्कार और साधना से सम्पन्न तथा समृद्ध हो और

उसका उच्चारण स्पष्ट एवं निर्दिष्ट हो, ऐसा अक्षर 'मंत्र' बन जाता है। यही वह मूल है जिससे विश्व की समस्त भाषाएं प्रसूत होती हैंः- माता सरस्वती की वन्दना करते हुए कवि श्री नाग वर्मा लिखते हैं

''सर्वज्ञ तदहं वंदे परंज्योतिस्तमोडपहम्।

प्रवृता यन्मुखाद् देवी सर्वभाषा सरस्वती।।

सर्वविदित ही है कि समूचे भारत में १४ सितम्बर 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। संप्रभुता-सम्पन्न-राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति विविध प्रतीकों के माध्यम से किया करते हैं। इस रूप में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रचिह्न, राष्ट्रीय पक्षी आदि का प्रश्न हो या राष्ट्रभाषा का, सब राष्ट्र के नागरिकों की भावनाओं के साथ जुड़कर अपना एक विशिष्ट स्थान बना लेते हैं। भाषा का वेग उपर्युक्त अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक तीव्र है क्योंकि यह सीधे एक ही साथ लाखों हजारों नहीं करोड़ों के संपर्क में आती है। *आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा* का मत है कि हम जिस भावात्मक एकता की चर्चा करते हैं, उसका सबसे सबल साधन भाषा ही है। एक समय था जब यही कहा जाता रहा कि आंग्ल शिक्षा का प्रचार अधिक हो रहा है और इससे हिन्दी पाठ्यक्रमों की उपादेयता कम होती जायेगी किन्तु हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी बाजपेयीजी के विदेशों में होने वाले अधिवेशनों में हिन्दी भाषा को ही अपनी पहचान बनाया और भारती को सम्मान दिलाया तो वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने भी देश में ही नहीं अपितु विभिन्न देशों में अपनी राज भाषा का मस्तष्क गौरवान्वित किया है। वर्तमान में हिन्दी वार्तालाप अपने आप में गौरव का ही प्रतीक होता जा

रहा है। स्वदेश में यही विडम्बना और दाससुलभ प्रवृति बनी रहती है कि विदेशों से कोई हमारी सम्पत्ति की प्रशंसा न करे तो उसका महत्व हमें समझ नहीं आता है और हिन्दी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज विश्व पटल पर हिन्दी का सम्मान हमें अचम्भित कर देता है कि कहीं हम हिन्दी के प्रयोग और उसके अपनाने में पीछे न रह जाऐं। सकारात्मक पहलुओं और नकारात्मकता पूर्ण संघर्ष के पश्चात हिन्दी हमारी मातृ भाषा, राज भाषा ही नहीं एक सोच और संस्कृति की पहचान बन गयी है। तभी इसे मनीषियों ने भारत माता के कपाल की बिंदी का सम्मान दिया है और कहा है – **हिन्दी, भारत माता के माथे की बिंदी।**

यह शास्वत सत्य ही है कि भाषा, मनुष्य मात्र की अभिरूचियों एवं भावों के आदान-प्रदान का सशक्त साधन है। भारत की विविधताओं में अनेकता में एकता का सौम्यत्व हिन्दी में ही समाहित होता हुआ देखा जाता है। अनेकानेक बोलियाँ, राज्यभाषाओं एवं उपभाषाओं के होते हुए भी हिन्दी ने अपनी लोकप्रियता का परचम सम्पूर्ण भारतवर्ष पर स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही स्थापित कर लिया था। जीवन शैली, मनोरंजन, साहित्य एवं सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी ही सर्वग्राही हुई है।

हिन्दी भाषा के राज भाषा के स्तर तक पहुँचने का मार्ग लोकतान्त्रिक ही कहा जा सकता है। भारतवर्ष में सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा विभिन्न समयों पर लोक प्रचलित बोलियों और भाषाओं यथा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश रूपी विभिन्न मिश्रित भाषाओं का साथ देती हुई दिखाई पड़ती है। प्रचलन में आने वाली भाषाओं में उस समय के शासकों का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। कभी फारसी, तो कभी

उर्दू, तो कभी आंग्ल भाषाओं ने राज भाषा का स्वरुप लिया और भारतवर्ष के मानस पटल पर उनकी प्रचलित रीतियों एवं संस्कृतियों पर कड़ा प्रहार किया। किन्तु भारत का मानस स्वभावतः धार्मिक ही रहा है उसमें सभी को समावेश कर लेने की अद्भुत शक्ति से विश्व अचम्भित रहा है। और ऐसा ही उनकी अपनी भाषा में देखने को मिलता गया। हिन्दी भाषा में सभी भाषाओं की बोलचाल के अलंकार जुड़ते गये और उसके लेखन से लेकर उच्चारण में भी कई बदलाव आते गये। भाषा विज्ञानी *डॉ जॉन बीस्म* ने भारतीय आर्य परिवार की भाषाओं में हिन्दी के अलावा पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उड़िया और बंगाल की भाषाओं को समाहित करते हुए खड़ी बोली या खिचड़ी भाषा के रूप में पहचाने वाली हिन्दी भाषा के लिए लिखा है कि **'हिन्दी राष्ट्र के अंतरंग की भाषा है, जो कि संस्कृत की वैध उत्तराधिकारी है और आधुनिक भारतीय भाषा व्यवस्था में उसका वही स्थान है जो प्राचीन काल में संस्कृत का था।'**

भारतीयता के इतिहास में अंग्रजों के उपनिवेश होने का समय बड़ा ही हलचल का समय रहा है। जहाँ गोरे साहेब लोगों के देश में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था वहाँ उनकी अनवरत सेवा हेतु दास दासियों को भी कभी निद्रा का अवसर नहीं मिला। इसी साम्राज्यवादिता की लोलुपता में भारतीयों को दास एवं कर्मचारियों की श्रेणी अथवा चाटुकारों के रूप में उन सभी उपनिवेशित देशों में भेजा जाता रहा और वे भी अपने साथ अपनी भाषा, संस्कृति और अपने धर्मों के आचरण, पूजा इत्यादि को अपने साथ ले कर प्रसारित होते रहे, शायद इसिलिये आज विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों में हिन्दुस्तानियों ने अपनी पैठ बनाई है और आंचलिक

बोलियों एवं भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी के साम्राज्य का भी विस्तार किया है। आज हिन्दी भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका की सातवीं भाषा के रूप में स्थान प्राप्त किये है।

स्वतन्त्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय नेताओं ने स्वदेशीपन या राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयत्न किया। देशवासियों के बीच एकता का संचार करने वाली भाषा के रुप में हिन्दी ऊभर कर सामने आई। इस अभियान में *राष्ट्र-पिता महात्मा गांधीजी के साथ राजर्षि पुरूषोत्तमदास टण्डन एवं सेठ गोविन्ददास* आदि की भूमिका अहम रही। हिन्दी को राजभाषा का स्थान केवल इसलिए नहीं दिया था कि वह देश की एक मात्र संपर्क भाषा है, बल्कि अंग्रजी शासन को जड़ों से उखाड़ने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि क्रांतिकारियों के बीच में कोई एक भाषा हो जिसमें वह अपनी बात एक दूसरे को समझा सके। यह वह दौर था जब देश अंग्रजों के शासन से त्रस्त था, लोग स्वतन्त्रता के लिए तरस रहे थे। अंग्रेजी, विदेशी भाषा थी, जो विदेशी शासन का अनिवार्य अंग थी, अंग्रेजी शासन को विरोध करने के साथ-साथ अंग्रेजी का विरोध करना या उससे संबंधित वस्तुओं का विरोध भी आवश्यक हो गया था। *सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'* के अनुसार भाषा और राष्ट्र की अनन्यता का रिश्ता चोली और दामन के समान है, उन्होंने लिखा है : **''कुछ अपवादों को छोड़कर, कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा से जीवनचर्या नहीं चला सकता और यह बात और भी असंभव हो जाती है जब कोई देश आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहा हो और स्वाभिमान का लक्ष्य उसके सामने हो। यदि कोई राष्ट्र अपनी भाषा से काम नहीं चलाएगा तो अपनी अनन्यता खो बैठेगा और इसके स्थान पर अन्यथा भाव आ जाएगा। अंग्रेजी भाषी पश्चिमी लोग इस विचार को**

उग्र राष्ट्रीयता का नाम देकर भले ही बदनाम करें, परन्तु उनके विचार संदिग्धता से विमुक्त नहीं हैं। ” देश को स्वतन्त्रता मिलने के बाद यह सामने आया कि देश में संचार की भाषा कोई हो सकती है तो वह हिन्दी ही है।

संपर्क या व्यवहार की भाषा के रूप में हिन्दी की अनिवार्यता पर जोर दिया जाने लगा। हिन्दी की इसी विशेषता को ध्यान में रखकर भारत की संविधान सभा ने १४ सितम्बर, १९४९ को *मुशी अय्यंगर फार्मूले* के आधार पर हिन्दी को भारत-संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, तब से प्रत्येक वर्ष १४ सितम्बर को केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में इसे राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की धारा ३४३ के अंतर्गत हिन्दी भारतियों की राजभाषा घोषित हुई जिसकी लिपि देवनागरी होगी, यह लिपि प्राचीन ही नहीं है, वैज्ञानिक और सरल भी है। इसमें **जैसा लिखा जाता है, वैसा बोला जाता है और जैसा बोला जाता है, वैसा लिखा जाता है।** और धारा ३५३ में हिन्दी विकास की दिशा ही तय की गई जिसमें शासन की ओर से हिन्दी के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों को भी तय किया गया।

भारतमाता के प्रौद्योगिकी क्षेत्र, विपणन तन्त्र और अन्र्तराष्ट्रीय संबंधों में विकास के साथ-साथ भारती का विकास भी प्रासंगिक ही है। हिन्दी अपने वर्चस्व के साथ आज सीमा पार भी जन मानस पर साहित्यिक ही नहीं अपितु जीवन मूल्यों को भी अपने में समेट कर जन्म-मृत्यु की साथी बन गयी है। जैसे-जैसे वैश्विक बाजारों में हमारा निवेश, विदेशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता जा रहा है वैसे ही संचार के माध्यम में हिन्दी अपना सौन्दर्य एवं लावण्यता में अंग्रजी

भाषा को इठलाती हुई पीछे छोड़कर उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही है।

यहाँ प्रवासी हिन्दी साहित्य आन्दोलन की भी चर्चा की जाए तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। छोटे-छोटे देशों के अंदर भी लोग हिंदी में लिखने लगे हैं। हिंदी में चाहे वो स्तरीय रचना नहीं है लेकिन प्रवासी हिन्दी साहित्य रचना की कोशिश की जा रही है। उस कोशिश का परिणाम यह हुआ कि विदेशों में जहाँ-जहाँ हमारे भारतीय लोग हैं वे लिखकर अपनी रचनाओं को प्रकाशित भी हो रहे हैं और अपने देश में वो पत्रिकायें भी निकाल रहे हैं। एक तरह से ये धीरे-धीरे **हिंदी मूवमेंट** बन गया। आज आस्ट्रेलिया में लिखा जा रहा है, अमेरिका में लिखा जा रहा है, जापान में भी लिखा जा रहा है। अब ऐसा देश नहीं है, जहाँ भारतीय लोग हों, हिंदी भाषी हों और हिंदी में नहीं लिखा जा रहा हो।

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन का एक मुख्य बिंदु था, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को स्थापित करना। जहॉ तक मुझे ज्ञात हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के रेडियो आदि के संचार के साधनों में हिदीं का उपयोग शुरू हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने में बहुत बाधाएं है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के कम्यूनिकेशन के उपकरणों में हिंदी शामिल हो जाएगी, यह भी कम उपलब्धि नहीं है।

हिन्दी एक वैश्विक भाषा के रूप में

हिंदी के वैश्विक रूप के विषय में *आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी* हिंदी की महत्ता तथा उससे अपेक्षाओं के संदर्भ में ठीक ही लिखते हैं- **''भारतवर्ष के पड़ोसी देशों में**

आजकल हिंदी साहित्य पढ़ने और समझने की तीव्र लालसा जाग्रत हुई है। चीन, मलय, सुमात्राा, जावा, समस्त एशिया से माँग आ रही है। एशिया के देश अब अंग्रेजी पुस्तकों में प्राप्त सूचनाओं से संतुष्ट नहीं हैं। वे देशी दृष्टि से देशी भाषा में लिखा हुआ साहित्य खोजने लगे हैं। आगे यह जिज्ञासा और भी तीव्र होगी।'' हिंदी के वैश्विक दायरे के संदर्भ में *डॉ. सुरेश माहेश्वरी* लिखते हैं– **''आज विश्व में भारत ने अपनी पहचान बना ली है। भारत एक स्वतंत्रा जनतांत्रिाक राष्ट्र है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का मुखिया भारत है। सार्क परिषद का प्रणेता और संस्कृति की दृष्टि से भी वह विश्व का पथप्रदर्शक और अगुआ है। ऐसे भारत की भाषा हिंदी है। इसलिए यदि भारत से निकटता बनानी हो तो हमें हिंदी के अध्ययन–अध्यापन को महत्त्व देना चाहिए, ऐसा विश्व के सभी राष्ट्रों ने सोचा। दूसरे भारतवंशी लोग रोजगार हेतु पश्चिम के राष्ट्रों में गए हैं और पूरब के राष्ट्रों में भाईचारा, स्नेह, संस्कृति को लेकर अपना स्थान बनाया। इस कारण से भी हिंदी का अपना वैश्विक दायरा निर्माण हुआ।''**

हिंदी की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए परतंत्र भारत के अंग्रेज शासकों की भी भूमिका रही है। उन्होंने अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए अधीनस्थ उपनिवेश सूरीनाम, फिजी, मॉरीशस, त्रिानिडाड आदि जगहों पर बिहार, उत्तरप्रदेश के सैकड़ों श्रमिकों को वहाँ ले गये। वे सभी भारतवासी अपने साथ तुलसीदासजी का रामचरितमानस और भारतीय संस्कृति की परम्परा को जीवन धन मानकर ले गये। यही कारण है कि आज भी इन देशों को **'लघु भारत'** कहा जाता है। धीरे–धीरे वैश्वीकरण के कारण आज सभी यूरोपीय व अफ्रीकी देशों के विश्वविद्यालयों व बाजार में हिंदी की लोकप्रियता एक अनिवार्य

आवश्यकता बन गई। आज विश्व के करीब एक सौ बीस देशों में हिंदी का पठन-पाठन होता है।

डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल के वर्ष २००५ के *'भाषा शोध रिपोर्ट'* के अनुसार विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या १,१०,२६,६६,४४७ है। सारांश रूप में *डॉ. अर्जुन चव्हाण* के इन शब्दों का उल्लेख समीचीन होगा- **''संगीत, फिल्म, रेडियो और टेलीविजन के विविध चैनलों के जरिए हिंदी ने अपनी भौगोलिक सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के माहौल ने दुनिया के विभिन्न देशों को हिंदी को अपनाने के लिए विवश कर दिया। भूमंडलीकरण के नाम पर भूमंडलीकरण में बदलती जा रही दुनिया के सारे सौदागरों को भारत जैसे विशाल देश में पहुँच कर व्यावसायिक सफलता अर्जित करने हेतु हिंदी को अपनाने के लिए मजबूर बना दिया। परिणाम स्वरूप वैश्विक संदर्भ में हिंदी अपनी शक्ति का परिचय देती है।''**

हिंदी भाषा पर गम्भीरता के साथ कुछ विचारणीय बिंदु -

१ हम लोग अपने हस्ताक्षर हिंदी में क्यों नहीं करते?

२ हिंदी कठिन है ऐसा बहुत लोग कहते हैं। अंग्रेज़ी कठिन है, ऐसा किसी को कहते सुना क्या?

३ भारतीय भाषाओं का उपयोग देश तोड़ने के लिए क्यों किया जा रहा है?

४ भाषा का धर्म से संबंध होता है, क्यों नहीं मान लेते?

५ आज अगर देश में सोलह सौ भाषाएं हैं तो वैदिक काल में सोलह हज़ार भाषाएं रही होंगी। इस पार की अलग, उस पार

की अलग। हिन्दी ने सभी को आज जोड़ा है, क्या आप जानते हैं?

६ हिंदी ने संपर्क भाषा और मनोरंजन की भाषा के रूप में खूब प्रगति की, किंतु क्या सम्मान की भाषा हिंदी बन पाई?

७ हिंदी के विद्वान हिंदी को केवल साहित्य की भाषा मानकर इसके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं?

८ उन्नत भाषाओं में हज़ारों की बोर्ड हैं, हिंदी में केवल दो ही अभी तक विकसित हो सके हैं।

९ मोबाईल में संदेश भेजने के समय हिंदी रोमन में क्यों लिखी जा रही है?

१० अभी तक ऐसा कोई कम्प्यूटर क्यों नहीं बना जो केवल हिंदी में काम करता हो।

११ हिंदी का मतलब केवल साहित्य समझ लिया, हिंदी का मतलब ज्ञान क्यों नहीं है?

१२ प्रौद्योगिकी हमें संस्कृति से दूर ले जा रही है। मोबाइल ने हमारे रिश्तों को तोड़ा है। प्रौद्योगिकी अभी तो लुभा रही है, लेकिन पचास साल बाद क्या परिणाम होंगे, सोचा है?

१३ अब तक भारत में पैंतालीस लोगों को भारत-रत्न मिला, किसी भी भाषाविद् या साहित्यकार को क्यों नहीं मिला?

१४ आजादी के बाद हमारी शिक्षा नीति ने तय कर लिया कि हम केवल अंग्रेज़ी में ही शिक्षा दे सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ?

१५ हिंदी और अंग्रेज़ी के सवाल को जानबूझकर उलझाया क्यों जाता है?

१६ हिंदी भाषा और साहित्य के रूप में बहुत अच्छी है, लेकिन उसे अपने सारे ज्ञान का माध्यम क्यों नहीं बनाया जा सकता? हिंदी को ज्ञान से दूर रखने की उलटबांसी को किसने बनाया है?

१७ बहुभाषिता के मामले में सबसे कमजोर हिंदीभाषी ही क्यों रहते हैं?

१८ एक दवा सर्पगंधा से बनी, सर्पेंटाइन नाम से बिकती है, हमारी उपलब्धियां रेखांकित क्यों नहीं होतीं?

१६ राज भाषाओं में संस्कृत और पाली की जगह अरबी और फ़ारसी आ गई? बार बार बदले जाने पर भी हिन्दी वर्चस्वशाली है।

२० अनुवाद हमारे देश में सबसे उपेक्षित चीज़ क्यों है? –

२१ प्रौद्योगिकी का विकास हमारे यहां क्यों नहीं हुआ, उन्नत देशों में क्यों हुआ? प्रौद्योगिकी भले ही हमारे पास पड़ी रहे अगर उसका उपयोग हमारी भाषा में ज्ञान के लिए नहीं है, तो फिर वह किस मतलब की? –

२२ पिछले ७० वर्षों में हमने अपनी पढ़ाई अपनी भाषा में क्यों नहीं की?

२३ हिंदी को लेकर हीनताबोध बरकरार क्यों है?

२४ प्रबुद्ध लोगों के बीच हिंदी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है?

२५ डिफीकल्टियां, प्रॉब्लम जैसे विजातीय प्रभाव हिंदी में क्यों बढ़ रहे हैं?

२६ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पश्चिम की नकल के अलावा क्या किया है? –

२७ मुगल काल में हमारे अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय जबरन बंद कर दिए गये, पुस्तकालयों को जला दिया गया। सोचा है कभी?

२८ क्या चार सौ साल पहले आज के उन्नत देश ज्ञान विज्ञान में भारत से आगे थे? -

२६ भारत में सर्वशिक्षा का अभाव है, आज जो अशिक्षा है उसका कारण अंग्रेज़ी है क्योंकि हिन्दी तो सामान्यजन जानता ही है।

३० अपनी भाषाओं में हमारा मूल चिंतन नष्ट क्यों हो गया?

३१ संसद में क़ानून अभी तक हिंदी में क्यों नहीं बनते? न्यायालय में अभी तक अपनी भाषाओं में न्याय क्यों नहीं मिलता?

हिन्दी की उपलब्ध्यों पर विचार

१ कम्प्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती, वह भाषाओं की सेवा करता है।

२ हिंदी में, जैसा बोलते हैं, वैसा लिखते हैं।

३ हिंदीतर राज्यों में हिंदी जानने से अब व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है।

४ हम देश को जोड़ने के लिए भारतीय भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं।

५ भारतीय भाषाओं की बात करें तो भारतीय भाषाओं के साथ हिन्दी को भी जोड़ कर बात करनी होती है।

६ भारतीय भाषाएं आगे बढ़ेंगी तो हिंदी आगे बढ़ेगी। –

७ भारतीयता को स्वाभिमान जन जन में जग जाए तो दुनिया हिंदी का इंतज़ार करेगी।

८ भाषा का क्षेत्रों से संबंध होता है। अगर मुहम्मद साहब का जन्म अवध में हुआ होता तो कुरान शरीफ़ की भाषा अवधी होती और अगर महाकवि तुलसी दास अरब में पैदा हुए होते तो राम चरित मानस की भाषा अरबी होती।

९ हिंदी देश की सामूहिक आवाज़ है। हिंदी केवल भाषा का नाम नहीं है, यह इस देश की प्राणवायु है।

१० विविध संस्कृतियों को जोड़ने वाले पुल का नाम है हिंदी।

११ तमाम लोक भाषाएं हिंदी की जड़ें हैं। जड़ें जितनी मज़बूत होंगी, हिंदी भी उतनी ही मज़बूत होगी।

१२ शब्दो की कमी पड़ेगी तो लोक भाषाएं ही हिंदी को ज़िंदा रखेंगी।

१३ आज विभिन्न राष्ट्रों में हिन्दी के द्विभाषी होना समय की ज़रूरत है।

१४ शिक्षा में क्रांति अपनी भाषा के प्रयोग से आएगी।

१५ पहले भी लोग बहुभाषी होते थे। शंकराचार्य मलयालम भाषी थे।

१६ भाषा विजातीय तत्वों से नहीं सजातीय तत्वों से समृद्ध होती है।

१७ आज कितने वर्षों बाद हिंदी के बारे में इतनी जागरुकता और अच्छे विचार सामने आ रहे हैं यह एक सकारात्मक वातावरण का प्रतीक है।

१८ भाषा का बड़ा काम ज्ञान और विज्ञान की पहुंच बढ़ाना है।

१९ हजारों साल पहले रोम के राज घराने में रानियों ने भारतीय कपड़ों और अन्य वस्तुओं के लिए भारतीय व्यापारियों की भाषा सीखी थी।

२० दुनिया की कोई महाशक्ति ऐसी नहीं देखी जो किसी विदेशी भाषा के बल पर महाशक्ति बनी हो।

२१ मुहम्मद इक्बाल के बनाऐ इस सरगम – सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा और बिस्मिल आजिम बादी द्वारा रचित – सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जो कि उर्दू का हिन्दी में समावेश है और इसे हर हिन्दु, मुस्लिम बड़े ही उत्साह के भाव से गाते हैं तब मात्र यह माता हिन्दी ही हिन्दू–मुस्लिम के अनसुलझे झगड़ों को निपटाती दिखाई पड़ती है। श्री अतुल प्रसाद सेन के ये शब्द – नाना जाति नाना मत नाना परिधान, विविधता के बीच देखो मिलन महान हमें एक सूत्र में पिरो देते हैं तो वहीं बंगाल की वादियों से गूँजता – जन गण मन अधिनायक जय हे – हमारे देश की शान है। हिन्दी के इस अवदान से सारे भारतवासी अवगत हैं।

इन सभी विचारों पर मन्थन कर आप अपनी देश–भक्ति को जाँच लें और कम से कम अपने लक्ष्य मे हम कितने अग्रसर हुए हैं, इसका नियमित सर्वेक्षण कर सकते हैं। हमारे सभी नामपट्ट, लेटरहेड आदि हिंदी में बनाऐ जा सकते हैं और दैनिक व्यवहार की चीजों में हिंदी का उपयोग कर उसके साथ जुड़ी संस्कृतियों का प्रसार किया जा सकता है।

और कुछ नहीं तो हम कम से कम अपने हस्ताक्षर हिंदी में कर अपनी देश-भक्ति का परिचय दे सकते हैं।

विश्व में हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ती रुचि वर्तमान में भारत के प्रति रुचि बढ़ी है।

विश्व के अधिकांश देशों में जो प्रायः विकसित हैं, ज्ञान-विज्ञान की एक नयी शाखा 'भारत विद्या'; Indology प्रचलन में आयी है। विश्व के बहुत-से गैर हिंदी-भाषी लोग भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के अध्ययन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस क्रम में हिंदी पठन-पाठन का अन्य देशों में तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत के पड़ोसी देश और दुनिया के अन्य देशों में लगभग ४६ ऐसे देश हैं, जहाँ के शिक्षा संस्थानों में हिंदी पठन-पाठन की सुविधा है। मॉरीशस, फीजी, सूरीनाम, गयाना, त्रिानिडाड आदि देशों में बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय हैं, जो सैकड़ों वर्ष पहले जाकर वहाँ बस गये और वे वहाँ की आबादी के चालीस प्रतिशत से ऊपर की संख्या में हैं। वे हिंदी बोलते-समझते और पढ़ते-लिखते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार आदि भारत के पड़ोसी देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम चलते हैं। इन सभी देशों में समाज के बड़े वर्ग के काम-काज की भाषा हिंदी है। पाकिस्तान में लिपि फारसी है, राजभाषा उर्दू है लेकिन ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि बोल-चाल के स्तर पर दोनों भाषाओं में समानता है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के दो दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों यथा शिकागो, कैलिफोर्निया, विस्कान्सिन, पेन्सिलेवानिया, कोलंबिया, वाशिंगटन, वर्जिनिया और टेक्सास आदि विश्वविद्यालयों के **'दक्षिण एशिया अध्ययन विभाग'** के अन्तर्गत हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की

सुविधा है। ब्रिटेन के लंदन एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर पर हिंदी का पठन-पाठन सम्पन्न होता है। जर्मनी, कनाडा, रूस, फ्रांस, हॉलैण्ड, स्विटजरलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, इटली, पोलैण्ड, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका तथा जापान आदि देशों के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा है। वैश्वीकरण की तीव्र प्रक्रिया ने न केवल भारतीय नागरिकों को दुनिया के अन्य देशों में विचरण को संभव बनाया बल्कि दुनिया के अन्य देशों के एवं भारत के साथ राजनैतिक एवं राजनयिक संधियों एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी संभव बनाया है। विदेशों में बसे भारतीयों ने अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखने और अपनी सामुदायिक भावना को प्रश्रय देने के लिए अपने प्रवासी देशों में हिंदी के पठन-पाठन एवं विकास के लिए अनेक संस्थाओं-समितियों का गठन किया है। इस प्रकार सृजनात्मक कार्य से लेकर पठन-पाठन तक हिंदी का दुनिया में पर्याप्त विस्तार हो चुका है।

भारतेंदु हरिश्चंद का कथन है

'चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर वाणी।

बीस कोस पर पगड़ी बदले, तीस कोस पर धानी।।'

सूचना क्रांति और हिंदी वैश्वीकरण में कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। सूचना क्रांति के कारण हिंदी को अत्यधिक विस्तार मिला है। 'फेसबुक' जैसे सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से हिंदी भाषा-भाषी वैश्विक स्तर पर अन्तरंगता स्थापित करने में सक्षम हो सके हैं। हिंदी का साम्राज्य आजकल अनेक सूचना पोर्टलों एवं साइटों के माध्यम से अन्तरताना (इन्टरनेट) पर विस्तार पा रहा है। यूनीकोड की व्यवस्था ने सूचना तंत्र पर हिंदी भाषा की भौगोलिक सीमाओं को ध्वस्त

कर दिया है। तकनीकविदों ने ऐसा अनुभव किया है कि व्याकरण की वैज्ञानिकता की दृष्टि से संगणक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा संस्कृत है एवं उच्चारण और लेखन में समानता के कारण संगणक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लिपि देवनागरी है। इस प्रकार हिंदी वैश्विक स्तर पर तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।

मीडिया के रथ पर आरूढ़ होकर वैश्वीकरण के विश्वविजय का उद्घोष हो चुका है। हॉलिवुड और बालिवुड के प्रतिस्पर्धी वातावरण में 'हिंदी' को फिल्मों के माध्यम से पूरी दुनिया में विस्तार और सम्मान मिला है। भारतीय हिंदी चैनलों के कार्यक्रम दुनिया के अधिकांश देशों में देखे, सुने जाते हैं। इनकी लोकप्रियता असंदिग्ध है। वास्तविकता तो यह है कि हिंदी विश्व में सभी आयामों में नयी दृष्टि के साथ, आगे बढ़ रही है। न्यूजीलैण्ड में भारतीय मूल के लोगों ने हिंदी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अपना दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया है। इन जनसंचार माध्यमों ने हिंदी के स्वरूप और विस्तार, दोनों दृष्टियों से हिंदी को वैश्विक बनाया है। शब्द संख्या की दृष्टि से हिंदी का इस समय वर्चस्व और विस्तार उसी प्रकार हो रहा है, जिस प्रकार पूर्व में अंग्रेजी का हुआ था। दुनिया की अधिकांश भाषाओं के शब्द हिंदी में स्वीकृत हो रहे हैं। भाषा की दृष्टि से यह सकारात्मक पक्ष है। विश्वभाषा हिंदी का सवाल सांस्कृतिक है किन्तु 'हिंदी विश्वभाषा के रूप' में प्रतिष्ठित हो रही है। इसका मूल कारण सांस्कृतिक और राजनैतिक से अधिक आर्थिक है क्योंकि दुनिया के विकसित देश अपने अस्तित्त्व को बचाने के लिए अब बड़े बाजार की खोज में हैं। स्वाभाविक ही उन्हें भारत एक बड़े बाजार के रूप में दिख रहा है और यहाँ पर कब्जा जमाने में उनमें परस्पर

होड़ लगी हुयी है। इन परिस्थितियों में उन्हें हिंदी का आश्रय लेना उनकी विवशता बन रही है। बाजार के दबाव में हिंदी, 'हिंग्रेजी' में बदल रही है। अंग्रेजी शब्दों को यथावत स्वीकार कुछ हिंदीविदों के लिए आँख की किरकिरी बन रहा है, जबकि कुछ विद्वान इसे सकारात्मक कह रहे हैं। इस प्रवृत्ति से हिंदी का शब्दकोश समृद्ध होगा यह तो ठीक है, किन्तु इसका चिन्ताजनक पक्ष यह है कि कुछ लोग हिंदी को रोमन लिपि में लिखने की वकालत करने लगे हैं। निश्चित ही इससे जनमाध्यमों और संगणक के साथ हिंदी लेखन की उनकी असुविधा परिलक्षित होती है। हिंदी को यदि विश्वभाषा बनाना है तो उसे तकनीक की अभिव्यक्ति के लिए समर्थ बनाना होगा और हिंदी को तकनीक के अनुकूल विकसित करना होगा। हिंदी का विस्तार संतोषजनक है किन्तु हिंदी प्रयोग के प्रति हिचक आत्मघाती है। हिंदी विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर है। हिंदी के प्रयोगकर्त्ता यदि संकल्प लें तो निश्चित ही हिंदी विश्वभाषा के रूप में यथाशीघ्र प्रतिष्ठित होगी।

निष्कर्शः-

आज इतने वर्षों के संघर्षों के बाद भी यह सच्चाई ही है कि विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अधिकांश कामकाज अंग्रजी में ही होता है और संविधान के अनुपालन का हवाला देते हुए अंग्रजी का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार किया जाता है कि उन दस्तावेजों को कोई समझ ही न सके और आंकड़ों को पूरा करने की कार्यवाई कर ली जाती है। कोई भी भाषा जिसमें अत्याधिक परिभाषाओं का समावेश हो वह सामान्य जन की भाषा न होकर अवरोध बन जाती है, इस हेतु विशेष ध्यान आवश्यक है अन्यथा हिन्दी के स्थान पर

आज हम 'हिन्ग्लिश भाषा' का उदय कर चुके हैं जिसमें भाषा के संकरीकरण की भी सुविधा है। जिसे हम इन्टरनेट युग की देन कह सकते हैं।

अतः यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि सैद्धान्तिक रूप से हिन्दी भले ही राजभाषा स्वीकृत हो गई, किन्तु व्यावहारिक रूप में वह कार्यान्वित हो सके इसके लिए प्रयत्न आज भी जारी है। भविष्य में निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि बहुभाषी समाज में अपने विचारों के आदान-प्रदान के लिए संपर्क भाषा हिन्दी ही हो सकती है। यह स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, डायरी, आत्मकथा, भेंट-वार्ता, साक्षात्कार, यात्रा-वृतांत, लघुकथा-लेखन, संस्मरण-लेखन, रेखाचित्र-लेखन, अनुवाद-कार्य, संपादन, संपादकीय-लेखन, पुस्तक-समीक्षा-लेखन, शोध-अनुसंधान-कार्य, पाठ्य-पुस्तक-लेखन, आलोचना-कार्य, कोश-लेखन, बाल-साहित्य-लेखन, समाचार-पत्र-प्रकाशन, फीचर-लेखन, रेडियो-लेखन, संवाद-लेखन, लोक-साहित्य-लेखन आदि तमाम क्षेत्रों-विधाओं द्वारा समस्त देश-विदेशवासियों को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा हिन्दी ही है।

सम्पूर्ण भारत जिस दिन स्वभाषा में काम शुरू करेगा, विश्व में उसका स्वत्व भी पहचाना जाएगा और वह पहचान उसे महाशक्ति बनवाने में भी सहायक होगी ! भारत का महाशक्ति बनना और हिंदी का विश्व-भाषा बनना एक-दूसरे के पर्याय हैं।

हिंदी की महत्ता को *विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर* ने रेखांकित करते हुए कहा था- **"आधुनिक भारत की**

संस्कृति एक विकसित शतदल के समान है। जिसका एक-एक दल, एक-एक प्रान्तीय भाषा और उसका साहित्य संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रान्तीय बोलियाँ जिसमें सुन्दर साहित्य की सृष्टि हुई है, अपने-अपने घर में रानी बन कर रहे।...... आधुनिक भाषाओं के हार के मध्य मणि हिंदी भारत भारती होकर विराजती रहे।''

सन्दर्भ :- 'राजभाषा भारती' राजभाषा विभाग की त्रौमासिकी वर्ष : ४० अंक : १५५ (अप्रैल-जून, २०१८)